

Court of ACJM-1, Biraul

पूरक Biraul P.S.- 21/2019

G.R.- 66/2019

19.10.2020

प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने आरोप-पत्र एवं वाद दैनिकी भा0द0वि0 की धारा 379 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मो0 प्यारे, जिनका नाम आरोप-पत्र की कंडिका 11(i) में अंकित है, के विरुद्ध समर्पित किया गया है।

प्राथमिकी, पूरक आरोप-पत्र, कांड-दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद पूरक वाद अभिलेख है। मूल अभिलेख में दिनांक 03.04.2019 को प्राथमिकी अभियुक्त खुर्शीद के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 379 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया था, जो पूरक वाद के अभियुक्त मो0 प्यारे के विरुद्ध भी मान्य होगा।

वाद को विधिवत विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्त की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करे।

दिनांक 05.11.2020 वास्ते उपस्थिति।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम